संख्याः 2106 /ई–1/तेरह–2021–18/17टी.सी.

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांकः 26 अक्टूबर, 2021**

विषयः–भारत सरकार के मा. जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारीगणों के प्रदेश भ्रमण कार्यक्रम एवं विभागीय समीक्षा बैठक/निरीक्षण हेतु अधिकारिक दौरे पर आगमन पर प्रोटोकाल के सम्बन्ध में।

महोदय,

सूच्य है कि भारत सरकार के मा. जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारीगणों द्वारा आबकारी विभाग से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं आदि के समीक्षा एवं भौतिक निरीक्षण हेतु अधिकारिक भ्रमण किया जाता हैं, तथा उक्त भ्रमण कार्यक्रमों का विवरण उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे महानुभावों की सम्यक् व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश राज्य अतिथि नियमावली, 2011 में निर्दिष्ट व्यवस्थानुसार प्रवास, भोजन, परिवहन इत्यादि की व्यवस्था किया जाना आवश्यक होता है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में पधारने वाले उक्त महानुभावों प्रोटोकाल के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

1. उत्तर प्रदेश राज्य अतिथि नियमावली, 2011 के अधीन शासकीय/निजी कार्य से पधारने वाले महानुभावों के राज्य अतिथि घोषित किये जाने के संबंध में मुख्य मंत्री कार्यालय, प्रोटोकाल विभाग, उ.प्र. शासन से उक्त महानुभावों को राज्य सरकार का अथिति घोषित कराने तथा उनके सत्कार, प्रवास, भोजन एवं परिवहन आदि की व्यवस्था हेतु अनुरोध किया जाय।
2. मुख्य मंत्री कार्यालय, प्रोटोकाल विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा राज्य अतिथि घोषित किये जाने की अवस्था में लखनऊ स्थित मुख्यालय आने वाले राज्य अतिथियों के लिए प्रोटोकाल विभाग द्वारा राज्य सम्पत्ति अधिकारी, लखनऊ के माध्यम से आवास, भोजन, परिवहन इत्यादि के संबंध में करायी गयी व्यवस्था के संबंध में राज्य सम्पत्ति अधिकारी, लखनऊ से सामंजस्य स्थापित कर सम्यक् प्रबंधन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उत्तर प्रदेश में लखनऊ से भिन्न अन्य जिले के मुख्यालय में जाने की दशा में राज्य अतिथियों के लिए आवास की व्यवस्था सामान्यतः सर्किट हाऊस या निरीक्षण गृह में जिलाधिकारी द्वारा कराये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा संबंधित जिलाधिकारी से संपर्क कर समस्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

4. ऐसे राज्य अथितियों के प्रवास के दौरान सम्यक प्रबंधन हेतु संबंधित विभागाध्यध/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को उनसे संपर्क स्थापित करने एवं किसी प्रकार की असुविधा न होने हेतु निर्देशित किया जायेगा।

अतः कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के साथ ही अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी अपेक्षित दिशा–निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. मूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः 2106 **(1)ई–1/तेरह–2021, तद्दिनॉक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन।
2. निजी सचिव, विशेष सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन।
2. उप सचिव/अनु सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन।
3. आबकारी अनुभाग–2
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

26-10-2021

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव